



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण 1942 (श10)
(सं0 पटना 941) पटना, शुक्रवार, 11 दिसम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

vf/kl puk

11 दिसम्बर 2020

एस०ओ० 196, दिनांक 11 दिसम्बर 2020— बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उप नियम (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, वाणिज्य -कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 110, दिनांक 6 मई, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 267, दिनांक 6 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था में, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 जनवरी 2021 से प्रभावी, शब्द "पांच सौ करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[(सं०सं०— बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)—2286)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

11 दिसम्बर 2020

एस०ओ० 196, दिनांक 11 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०— बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)—2286)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 11th December 2020

S.O. 196, Dated 11th December 2020— In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 110, dated the 6th May, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 267, dated the 6th May, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, with effect from the 1st day of January, 2021, for the words “five hundred crore rupees”, the words “one hundred crore rupees” shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-2)-2286)]

By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 941-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>